भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2957

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत रोजगार सृजन

2957. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2016 से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार दिवसों की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) अकुशल श्रमिकों को सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए "विकसित भारत जी राम जी योजना" जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के विलय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरएमटी) के अंतर्गत महाराष्ट्र और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्य-वार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को

कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना और 2029 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का समग्र लक्ष्य पूरा करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। दिनांक 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.89 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.97 करोड़ आवास बनकर तैयार हो चुके हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची I, पैरा 4(1), II (ख) (iv) के अनुसार, पीएमएवाई-जी या अन्य राज्य/केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक की अनुमति थी। इसके तहत, मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से, पीएमएवाई-जी लाभार्थी को उसके आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दरों पर 90/95 श्रम दिवस का अकुशल मजदूरी रोजगार सहायता प्रदान करना अनिवार्य था। इसके बाद, दिसंबर 2025 में 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) नामक एक नया अधिनियम अधिनियमित किया गया है। वीबी-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची I, पैरा 4(ख) (viii) में, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अनुमत ग्रामीण आवास कार्यों को, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कार्य शामिल हैं, स्वीकार्य कार्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है।

पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से जल, एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं।

(ख) पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से सृजित राज्य और जिला-वार श्रम दिवस का विवरण, नरेगासॉफ्ट की रिपोर्ट संख्या आर29 (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/ongo_comp_pds_wrk_rpt_new.aspx?lflag=eng&fin_year=2025-2026&source=national&labels=labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg

(घ) पीएमएवाई-जी के तहत, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका में सहायता करना है। यह कार्यक्रम कुशल और प्रमाणित राजमिस्त्रियों का एक समूह तैयार करने पर केंद्रित है, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके आपदा-रोधी, टिकाऊ और किफायती पक्के आवासों का निर्माण करने में सक्षम हों। ये प्रशिक्षित राजमिस्त्री निर्माण की गुणवत्ता में सुधार, आवासों को तेजी से पूरा करने और डिजाइन व सुरक्षा मानकों के अनुपालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत अब तक 3.81 लाख अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है, 3.48 लाख का आकलन किया गया है और 3.08 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है। इन प्रशिक्षुओं ने संरचित कार्य स्थल प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूरा किया है, जिसका प्रमाणन 'कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया' (सीएसडीसीआई) द्वारा किया गया है। यह व्यवस्थित और व्यावहारिक प्रशिक्षण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि राजमिस्त्री ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-गुणवत्ता, सुरक्षित और टिकाऊ आवास निर्माण के लिए आवश्यक 'हैंड्स-ऑन' कौशल विकसित करें। इसके संदर्भ में, महाराष्ट्र राज्य में 52,255 नामांकित अभ्यर्थियों में से, 49,393 का आकलन किया गया है, और 44,929 व्यक्तियों को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है।

कार्यस्थल प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, पहुँच को व्यापक बनाने और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने के लिए 'ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों' (आरएसईटीआई) के माध्यम से एक समानांतर आरएमटी पहल शुरू की गई है। आरएसईटीआई मॉडल एक मानकीकृत पाठ्यक्रम और व्यावहारिक अनुभव के साथ एक संरचित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है, जिससे राजमिस्त्री कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलती है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रोजगार तक पहुँच में सुधार होता है। इस पहल के माध्यम से कुल 12,592 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है। इस संदर्भ में, महाराष्ट्र राज्य में आरएसईटीआई के तहत 65 व्यक्तियों को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है।